विवरण - 2

1992-93, 1993-94 **और** 1994-95 **के दौरान आवंटित राशि तथा हुआ खर्च**

कार्यक्रम	**आवंटित राशि तथा हुआ खर्च**					
	1992-93		1993-94		1994-95	
	आवंटन	**खर्च**	**आवंटन**	**खर्च**	**आवंटन**	**खर्च**
स0ग्रा0वि0का0	66222	69308	109343	95665	109822	99526
ज0रो0यो0	316905	270959	405942	387871	437692	426833
सु0रो0यो0	-	-	54877	18375	141025	12354
त्व0ग्रा0ज0आ0का0	39000	37758	40027	54396	68160	6745

निर्यात के लिए खनिजों की पहचान किया जाना

539. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) क्या भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ (एफआईएमआई) द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययन में निर्यात के लिए 26 खनिजों की पहचान की गई है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ (एफआईएमआई) द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) जी, हां । भारतीय खनिज उद्योग संघ (फिमि) द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार 26 खनिजों अर्थात वैराइट्स, बाक्साइट, बैन्टोनाइट, फुलर्स अर्थ, क्रोमाइट, फैल्सपार, ग्रेफाइट, जिप्सम, इल्मेनाइट, रूटाइल, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंग्रेसाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट, टाले, डियास्पोर, फायरल्ले, काओलीन, पाइरोफाइलाइट, क्वार्टज, क्वार्टनाइट, सिलिकासैंड, वर्मीक्युलाइट और वोलास्टोनाइट की निर्यात संभावनाएं हैं ।

(ग) रिपोर्ट में खनिजों के निर्यात की तीव्र वृद्धि के बारे में अनेक सीमित कारकों का उल्लेख किया गया है जिनमें साथ-साथ पर्याप्त ढांचागत तथा रखरखाव संबंधी सुविधाओं आदि की कमी शामिल है । इन बाधाओं को समाप्त करने के लिए फिमि ने समेकित प्रयास की सिफारिश की है ।

540. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की फसल बीमा योजना केवल तहसील को ही एक यूनिट मानते हुए कतिपय फसलों तक सीमित हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपबंध के कारण कई किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं, और

(ग) क्या सरकार का इस योजना के अतंर्गत गांव को एक यूनिट के रूप में मानने तथा सभी फसलों को इसमें शामिल करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अयूब खान) : (क) से (ग) जी हां, बहुत फसल बीमा योजना एक ऋण संबंधी योजना है जिसके अंतर्गत शामिल की जाने वाली फसलें हैं:- धान, गेहूं, कदन्न, तिलहन और दलहन । बीमा के लिये कवर किये जाने वाला ईकाई क्षेत्र तहसील/मंडल/ब्लाक/ग्राम पंचायत या इसी प्रकार का कोई अन्य निकटस्थ क्षेत्र हो सकता है । अधिसूचित ईकाई क्षेत्रों के अतंर्गत फसल ऋण प्राप्त करने वाले सभी किसान इस योजना में कवर होते हैं । राज्य सरकार को कितने भी छोटे ईकाई क्षेत्र को इस योजना में शामिल करने की स्वंतत्रता हैं बशर्ते कि उनमें प्रत्येक में शामिल करने की स्वंतत्रता है बशर्ते कि उनमें प्रत्येक मौसम में प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र में बीमित फसल में विनिर्दिष्ट फसल कटाई प्रयोग करने की क्षमता हो ।